



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-703

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 316532 दिनांक 18/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Seema Meena W/o RAVINDRA KUMAR MEENA	श्री मोहर सिंह मीणा पुत्र श्री लोहरे लाल मीणा	89	134.93 SQ. METER	Private	RC ENCLAVE - II	Name Transfer	आवेदिका श्रीमती सीमा मीना पत्नी श्री रविन्द्र कुमार मीना द्वारा निजी खातेदारी की योजना आर.सी. एनक्लेव-II के भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 134.93 व.मी. के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 134.93 व.मी. का फ्री होल्ड पट्टा दिनांक 13.09.2022 को श्री मोहर सिंह मीणा पुत्र श्री लोहरे लाल मीणा के पक्ष में जारी किया गया है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 134.93 व.मी. को श्री मोहर सिंह मीणा पुत्र श्री लोहरे लाल मीणा द्वारा



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.09.2022 को श्री रामकिशोर मीना पुत्र श्री बाबु लाल मीना को बेचान किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 134.93 व.मी. को श्री रामकिशोर मीना पुत्र श्री बाबु लाल मीना द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2023 को श्रीमती दुलारी बाई मीना पत्नी श्री राकेश को बेचान किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 134.93 व.मी. को श्रीमती दुलारी बाई मीना पत्नी श्री राकेश द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.05.2023 को श्रीमती सीमा मीना पत्नी श्री रविन्द्र कुमार मीना को बेचान किया गया।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Seema Meena W/o RAVINDRA KUMAR MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।